भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *107

उत्तर देने की तारीख: 03.12.2024

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव

***107: डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों (एससी)/ अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के साथ भेदभाव बढ़ा है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और विशेषत: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और आईआईटी/ एम्स में इसके क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी/ एम्स और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पाए गए मामलों का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) केंद्रीय कार्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भेदभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव के संबंध में डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों पर सांख्यिकीय डाटा संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है। बढ़ती जागरूकता, व्यापक प्रचार और पुलिस कर्मियों का क्षमता निर्माण एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के तहत अधिक मामले दर्ज होने के कुछ कारण हैं। शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में एससी/एसटी के विरुद्ध भेदभाव के संबंध में व्यापक डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, जो अस्पृश्यता के व्यवहार से उत्पन्न किसी विनिर्योग्यता को लागू करने के संबंध में दंड का प्रावधान करता है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किए गए दो अधिनियम हैं। इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुविधा के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना और अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) चला रहा है। एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधान केंद्रीय कार्यालयों/संस्थानों में भी लागू हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए उनके शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ भेदभाव को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में एससी/ एसटी छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत निवारण समिति, संपर्क अधिकारी आदि की स्थापना और एससी/एसटी छात्रों सहित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए नियम जारी करना शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी अपने अधीन संचालित संस्थानों में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े मानदंड बनाए हैं।

अनुबंध I

अनुबंध I का उल्लेख दिनांक 03.12.2024 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 107 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में किया गया है

वर्ष 2013-2022 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के साथ अपराध के अंतर्गत दर्ज मामले

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या		
	एससी	एसटी	कुल
2013	39408	6793	46201
2014	40401	6827	47228
2015	38670	6276	44946
2016	40801	6568	47369
2017	43203	7125	50328
2018	42793	6528	49321
2019	45961	7570	53531
2020	50291	8272	58563
2021	50900	8802	59702
2022	57582	10064	67646
स्रोत:- *राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय*			

*****